अनुमण्डलीय न्यायालय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0–23 / 2016

15.01.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रतिवादी की तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक–05.07.2023 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई के उपरान्त आदेश हेतु नियत हैं।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी को अफवाहन इस वाद की पहले–पहल जानकारी 19.12.2022 को हो सकी। तत्पश्चात् प्रार्थी मुकदमे के विषय में जानकारी प्राप्त करने डुमरांव व्यवहार न्यायलय में गया और अपने अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर मुकदमे के विषय जानकारी प्राप्त किया तथा इस वाद में प्रार्थी अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–19.12.2022 को उपस्थित हो गया परन्तु वाद होने उपस्थिति प्रार्थी को पहले–पहल दिनांक–05.07.2023 को यह जानकारी हो सकी कि इस वाद में प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई संबंधी आदेश दिनांक–13.04.2022 को पारित किया जा चुका है। प्रार्थी को इस वाद की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रहने की वजह से प्रार्थी इस वाद में उपस्थित नहीं हो सके तथा इस वाद में प्रार्थी के विरूद्ध सुनवाई संबंधित पारित आदेश से प्रार्थी को बेहद अपूरणीय क्षति है। अतः निवेदन है कि दिनांक–13.04.2022 की इस वाद में प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई संबंधित आदेश को रिकॉल कर प्रार्थी को अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल करने तथा उसके आधार पर प्राथ्री को वाद संघर्ष करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज करने की मौखिक प्रार्थना किये है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध सारी कार्यवाही करने के बाद दिनांक–13.04.2022 को ही एकपक्षीय आदेश पारित हो चुका है। एकपक्षीय आदेश पारित होने के बाद प्रतिवादीगण दिनांक–19.12.2022 05.07.2023 को उपस्थित होते हैं तथा बयान तहरीरी दाखिल करने हेतू समयावेदन दिए हैं जबकि

उनके विरूद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय आदेश पारित हो चुका था। वाद का सही न्याय निर्णय हेतू एवं प्राकृतिक न्याय का यह उद्देश्य है कि वाद के सभी पक्षकारों को सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रतिवादी के आवेदन दिनांक– 05.07.2023 को मो0 700/– रूपये खर्चा जो वादी के पक्ष में देय होगा के साथ स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय